

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

**Original Application No. 07/2022**

**and**

**Original Application No. 12/2022**

**IN THE MATTER OF:**

**SUBHASH C. PANDEY**

**APPLICANT(S)**

**VERSUS**

**STATE OF MP & ORS**

**RESPONDENT(S)**

**I N D E X**

| <b>S. No.</b> | <b>Particulars</b>   | <b>Annexure</b>        | <b>Page No.</b> |
|---------------|--|------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>     | Action Taken Report on behalf of State of Madhya Pradesh   |                        | 03-07           |
| <b>2.</b>     | Affidavit  |                        | 08              |
| <b>3.</b>     | Copies of Notices along with Stay Orders passed by Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Principal Bench at Jabalpur | <b>R-1<br/>(Colly)</b> | 09-52           |

|           |  |            |    |
|-----------|--|------------|----|
| <b>4.</b> | Progress Report issued by<br>Executive Engineer, BMC                                   | <b>R-2</b> | 53 |
| <b>5.</b> | Copy of Letter dated<br>13.02.2025 of Executive<br>Engineer, Janpad Panchayat<br>Fanda | <b>R-3</b> | 54 |

**Date: 13.02.2025**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel  
Prashant M. Harne  
Standing Counsel  
State of Madhya Pradesh**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

**Original Application No. 07/2022**

**and**

**Original Application No. 12/2022**

**IN THE MATTER OF:**

**SUBHASH C. PANDEY**

**APPLICANT(S)**

**VERSUS**

**STATE OF MP & ORS**

**RESPONDENT(S)**

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF STATE OF MADHYA**  
**PRADESH**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That the issue raised in this application is alleged unauthorized, illegal construction and encroachment on the reservoir land shown as Kaliyasot & Kerwa reservoir in the territorial jurisdiction of District Bhopal (Madhya Pradesh). It is further alleged that in the Bhopal Master Plan of 2005, which is currently in force, the lands and forests around the Kaliyasot Reservoir up to 33 meter from the edge of the Reservoir is to be kept open for Green Belt. That it is further alleged by the Applicant regarding the issue of movement of Tiger and Leopard and other wild animals in the surroundings of the Reservoir, which is adjacent to the Kerwa area of Bhopal, is a known

corridor of Tiger and Leopard, along with many other wild life species. Hundreds of aquatic animals like Ghariyal, Crocodile and Tortoise in the Kaliasot Reservoir are also at risk due to the said activities.

2. It is most respectfully submitted before this Hon'ble Tribunal, that BMC issued Notices under the provisions of Section 307(2) of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 against total of 11 encroachers. It is further submitted that, out of the aforementioned 11 encroachers, BMC in consonance with District Administration have removed 4 encroachments and that the remaining 7 had filed Writ Petitions before the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Principal Bench at Jabalpur and that the Hon'ble High Court has passed stay orders in favor of the encroachers and therefore in compliance of the Stay Order issued by the Hon'ble High Court, no action has been taken against the remaining 7 encroachers. That the copies of Notices along with Stay Orders passed by Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Principal Bench at Jabalpur are marked and annexed herewith as **Annexure R-1 (Colly.)**.

3. It is further submitted before this Hon'ble Tribunal that the BMC has undertaken the construction of two Sewage Treatment Plants (hereinafter referred to as "STPs"), with designed capacities of 200 KLD and 450 KLD, respectively. These STPs are strategically located at Suraj Nagar and near Barkhedhi Nalah. It is respectfully submitted that the construction of the 200 KLD STP at Suraj Nagar is nearing completion, with approximately 95% of the work already executed. The said STP is anticipated to be fully operational on or before 31st March, 2025. Furthermore, the construction of the 450 KLD STP, situated near Barkhedhi Nalah, has reached a completion status of approximately 70%. The remaining work is being expedited with due diligence and in adherence to the prescribed standards and guidelines, and it is expected that the said STP shall be fully functional and operational on or before 31st May, 2025. It is further submitted that all necessary measures are being undertaken to ensure the timely completion and commissioning of both STPs, in compliance with environmental norms and regulatory requirements, to

facilitate efficient sewage treatment and disposal, thereby serving the public interest and promoting environmental sustainability. That a copy Progress Report issued by Superintendent Engineer, BMC is marked and annexed herewith as **Annexure R-2**

4. It is further submitted that the Janpat Panchayat, Fanda, had undertaken the construction of three Sewage Treatment Plants (STPs) with designed capacities of 15 KLD, 20 KLD, and 5 KLD. Out of these, the STPs with capacities of 15 KLD and 20 KLD are located in Mendori, while the STP with a capacity of 5 KLD is situated in Berkhedi Bazvaft. It is respectfully submitted that the construction of all three STPs has been fully completed, and they are currently operational and functioning in accordance with their designed capacity and purpose. That a copy of Letter dated 13.02.2025 of Executive Engineer, Janpad Panchayat Fanda is marked and annexed herewith as **Annexure R-3**.
5. Hence, the present reply is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. This Hon'ble Tribunal

**1503**

may, therefore, take the present Action Taken Report on record and pass any appropriate order(s) that it may deem fit, which will be complied with by Respondent Authorities.

**Date: 13.02.2025**

**Place: Bhopal**



**Through Counsel  
Prashant M. Harne  
Standing Counsel  
State of Madhya Pradesh**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

**Original Application No. 07/2022  
and  
Original Application No. 12/2022**

**IN THE MATTER OF:**

**Subhash C. Pandey** Applicant(S)

**Versus**

**State Of M.P & Ors** Respondent(S)

**AFFIDAVIT**



I, **Brijesh Sharma**, S/o **Shri KC Sharma**, and Officer-in-Charge, office at Regional Officer, M.P. Pollution Control Bhopal, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.), do hereby solemnly affirm on oath as under:

1. That I am Officer in Charge on behalf of State of Madhya Pradesh in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing a Action Taken Report in the aforementioned matter before this Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct to the best of my knowledge.
3. That the contents of the Action Taken Report are true and correct to the best of my knowledge and no material fact is concealed or suppressed.

**DEPONENT**

Regional Officer  
M.P. Pollution Control Board  
BHOPAL

**VERIFICATION**

श्री. Brijesh Sharma I, the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

राज दिनांक 25 February, 2025 at Bhopal

मेरे समक्ष शपथ पत्र सुनाया व समझाया गया।  
शपथ ग्रहण किया।

Signed and verified on this 25 Day of February, 2025 at Bhopal

नाहद किरमानी  
शपथ आयुक्त, भोपाल

**DEPONENT**

Regional Officer  
M.P. Pollution Control Board  
BHOPAL

प्रमाणित किया जाता है कि शपथ ग्रहणित  
मेरे समक्ष शपथ पत्र सुनाया व समझाया  
या उसे सही मानकर हस्ताक्षर/अंगूठा  
समक्ष अंकित किया।

**IDENTIFY BY ME**

## ANNEXURE - V

कलियासोत डेम/नदी के एफ.टी.एल. से 33 मीटर के दायरे में पाये गये निजी निर्माणकर्ताओं को जारी किये गए सूचना पत्रों का विवरण

| क्र. | ग्राम का नाम | स्वत्वधारी का नाम  | खसरा क्रमांक                 | कुल रकबा        | एफ.टी.एल. से 33 मीटर में आने वाला रकबा | किए गए निर्माण का विवरण           | अन्य विवरण            | म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) अंतर्गत जारी सूचना पत्रों का विवरण | जोन क. |
|------|--------------|--|------------------------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---|--------|
| 1    | 2            | 3  | 4                            | 5               | 6                                      | 7                                 | 8                     | 9   | 10     |
| 1    | बरखेड़ी कलां | श्रीमती पदमा डागर पत्नी उस्ताद जिया उद्दीन डागर निवासी भोपाल | 41/3/1/4                     | 0.1580 हे.      | 0.050                                  | निर्माणाधीन भवन एवं वाउंड्री वाल  |                       | 5364/11.9.2023  | 21     |
| 2    | बरखेड़ी कलां | श्रीमती सीमा मिश्रा पत्नि श्री नरबदा प्रसाद                  | 41/3/1/9                     | 0.1050 हेक्टेयर | 0.1050 हेक्टेयर                        | कुत्तों के लिए टीनशेड एवं 1 मंदिर |                       | 5404/11.09.2023   | 21     |
| 3    | चंदनपुरा     | आरोशिखा एज्युकेशन  | 77/1/2/1/1                   | 0.409 हेक्टेयर  | 0.0400                                 | मछली फार्म बनाकर                  |                       | 5358/11.09.2023   | 8      |
| 4    | खुदागंज      | श्रीमती नमता यादव पत्नि अवधेश प्रतापसिंह यादव                | 7/2/6/2                      | 0.1860 हेक्टेयर | 0.1860                                 | स्ट्राइक गेम जोन                  | स्ट्राइक गेम जोन      | 5383/11.09.2023   | 21     |
| 5    | खुदागंज      | मधुरन प्रो.सुधीर गुप्ता पुत्र कालूराम गुप्ता                 | 59/1/1                       | 0.1860 हेक्टेयर | 0.1000                                 | वाउंड्री वाल एवं रेस्टारेंट       | एस.एन. क्लासिक        | 5374/11.09.2023   | 21     |
| 6    | खुदागंज      | श्रीमती नीलन मिश्रा पत्नि श्री ननोज मिश्रा                   | 59/1/8                       | 0.1860 हेक्टेयर | 0.1000                                 | गाय का शेड एवं वाउंड्री वाल       |                       | 5399/11.09.2023   | 21     |
| 7    | खुदागंज      | श्री अरविंद अग्रवाल आत्मज श्री किशोरिलाल अग्रवाल             | 65/1/4                       | 0.186           | 0.100                                  | शेड एवं वाउंड्री वाल              | कोजी किचिन रेस्टारेंट | 5409/11.09.2023   | 21     |
| 8    | खुदागंज      | श्री विनीत अजमानी आत्मज श्री जे.एल.अजमानी                    | 59/2/1/3, 60, 61, 65, 105/65 | 0.186           | 0.090                                  | शेड एवं वाउंड्री वाल              |                       | 5389/11.09.2023   | 21     |
| 9    | खुदागंज      | श्रीमती शिखा पत्नि श्री महेंद्र सिंह चौहान                   | 58/1                         | 0.101           | 0.101                                  | रेस्टारेंट                        | के.डी. लाउंज          | 5394/11.09.2023   | 21     |
| 10   | खुदागंज      | श्रीमती सुपमा पाठक पत्नि श्री एस.जी.पाठक                     | 59/1/11, 60, 61, 65, 105/66  | 0.186           | 0.186                                  | वाउंड्री वाल एवं रेस्टारेंट       | हाईड आउट रेस्टारेंट   | 5379/11.09.2023   | 21     |
| 11   | खुदागंज      | श्री अवधेश अग्रवाल आत्मज श्री गोपीकिशन अग्रवाल               | 65/1/6, 105/65, 67, 69       | 0.186           | 0.090                                  | वाउंड्री वाल एवं रेस्टारेंट       | कंद्रीसाइड रेस्टारेंट | 5369/11.09.2023   | 21     |

उपयंत्री  
अंकित शार्वर्य  
भवन अनुज्ञा शाखा जोन क. 08

सहायक यंत्री  
भवन अनुज्ञा शाखा जोन क. 08

उपयंत्री  
संपकन वर्मा  
भवन अनुज्ञा शाखा जोन क. 21

सहायक यंत्री  
भवन अनुज्ञा शाखा जोन क. 21



# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

## भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्रीमती नीलम मिश्रा पत्नि श्री मनोज मिश्रा  
(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा न. 59/1/8,

ग्राम खुदागंज, भोपाल ,

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 135/2014 (CZ) एवं आई.ए. नं. 35/2023 में पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5399 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5399 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law." के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है।

निरंतर.....

इस कार्यालय के संदर्भित सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा दिनांक 18.09.2023 को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसके परीक्षण उपरांत पाया गया कि विषयांकित स्थल पर बिना सक्षम अनुमति के निर्माण किया गया है। अतः अभ्यावेदन संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण अमान्य योग्य है।

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत एफ.टी.एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—गाय का शेड
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1000 वर्ग मीटर

3012  
3015  
क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023  
प्रतिलिपि:—

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c  
मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

o/c  
मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल





# कार्यालय नगर पालिका निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्री अरविंद अग्रवाल आत्मज श्री किशोरी लाल अग्रवाल  
(अथवा जो भी संबंधित हों)  
खसरा क. 65/1/4, ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं 5409 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5409 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law.के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए विन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लेवें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—कोजी किचिनरेस्टोरेंट
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1000 वर्ग मीटर

3048  
3051  
क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023


प्रतिलिपि:—

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c  
R मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

o/c  
R मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

0719201124



1510



कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्रीमती ममता यादव पत्नि अवधेश प्रताप सिंह यादव  
(अथवा जो भी संबंधित हो)  
ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं 5383 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र कं. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5383 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

o/c

निरंतर.....

1511

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभाग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लेवें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—स्ट्राईक गेम जोन
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1860 वर्ग मीटर

3020

क्र. 3023 / भ.अ.शा. / कलियासोत / 2023

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

o/c

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

भोपाल

7000565380



1512



# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्री मधुरम, प्रो. सुधीर गुप्ता, पुत्र कालूराम गुप्ता

(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा क्र. 59/1/1, एस.एन. क्लासिक, ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं 5374 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क्र. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं. 5374 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभाग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—एस.एन. क्लासिक
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1000 वर्ग मीटर

o/c

3024

क्र. 3027/भ.अ.शा./कलियासोत/2023

प्रतिलिपि:—


1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

9826060800





1514

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्री विनित आजमानी/आत्मज जे.एल. आजमानी  
(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा क. 59/2/1/3,60,61,65,105/65 ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं 5389 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5389 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—शेड

2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—900 वर्ग मीटर

3028

3031

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

प्रतिलिपि:—

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक ...../...../2023

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल



1516



कार्यालय नगर पालिक निगम,

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्रीमती शिखा पत्नि महेन्द्र सिंह चौहान

(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा क. 58/1, ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं 5394 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्तविषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5394 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

o/c

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—रेस्टोरेंट
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1010 वर्ग मीटर

3016  
क्र. 3016/भ.अ.शा./कलियासोत/2023  
प्रतिलिपि:-

o/c  
R मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c  
R मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल



Shit Time, 4: P.M.

9144692915



# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्री अवधेश अग्रवाल आत्मज गोपीकिशन अग्रवाल  
(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा क. 65/1/6, 105/65, 67, 68, ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं 5369 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र कं. 5369 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभाग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लेवें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—कंटीसाईड रेस्टोरेंट

2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—900 वर्ग मीटर

3036

क्र. 3039/भ.अ.शा./कलियासोत/2023

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

O/c

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

O/c

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

9425150076





# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्रीमती सुषमा पाठक पत्नि श्री एस.जी. पाठक

(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा क्र. 59/1/11, 60,61,65,105/66 ग्राम खुदागंज, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेश दिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं 5379 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क्र. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं. 5379 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवंमाननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—रेस्टोरेंट
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1860 वर्ग मीटर

3032

क्र. 3035 भ.अ.शा./कलियासोत/2023

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

24/9/23  
7415011877





# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्रीमती पद्मा डागर पत्नि उस्ताद जियाउद्दीन डागर  
(अथवा जो भी संबंधित हों)

खसरा क्र. 41/3/1/4, ग्राम बरखेड़ीकलॉ, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं.135/2014(CZ) एवं आई.ए. नं.35/2023 में पारित आदेशदिनांक- 11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं 5364 दिनांक 11.09.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क्र. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं. 5364 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेशदिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law."के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, और न ही अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत किया गया है।

निरंतर.....

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी. एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—निर्माणाधीन भवन
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—500 वर्ग मीटर

क्र. 3044/भ.अ.शा./कलियासोत/2023  
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c  
मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

ok  
मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल





# 1524 कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../भ.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

श्रीमती रेणू गुंदेचा पत्नि श्री रमाकांत गुंदेचा  
अथवा (जो भी संबंधित हो)  
ख.क. 41/3/22, रकवा 0.105 हे  
ग्राम बरखेडी कलां, भोपाल

विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:- अनुविभागीय अधिकारी, नजूल टी.टी.नगर वृत्त भोपाल, का पत्र क्रमांक-532/अ.वि.अ./टी.टी.नगर/2023 भोपाल दिनांक-09.09.2023 का संशोधित पत्र क्रमांक-571/अ.वि.अ./टी.टी.नगर/2023 भोपाल दिनांक-18.10.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं. 607 दिनांक 18.10.2023।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा संशोधित पत्र क्रमांक-571/अ.वि.अ./टी.टी.नगर/2023 भोपाल दिनांक-18.10.2023 में उल्लेखित संदर्भ के अनुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 07/2022 में पारित आदेश के परिपालन एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law." के अनुसार आपको पूर्व में संदर्भित इस कार्यालय के पत्र द्वारा सूचित किया गया है, परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है व आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त सूचना पत्र की उपेक्षा किया जाकर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत डेम का एफ.टी.एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभोग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

निरंतर.....

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार—निर्माणाधीन भवन
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)—1050 वर्गमीटर

010

991

क्र. 994 / भ.अ.शा. / कलियासोत / 2023

प्रतिलिपि:—


1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 का संशोधित पत्र क्रमांक 571 दिनांक 18.10.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैध निर्माणकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

010

मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

= 9826317446

9826317446





# कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

भवन अनुज्ञा शाखा, शाहपुरा

क्र...../म.अ.शा./कलियासोत/2023

भोपाल, दिनांक ...../...../2023

// अंतिम सूचना पत्र //

प्रति,

सचिव, आरोशिखा ऐजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी  
(अथवा जो भी संबंधित हों)  
खसरा न. 77/1/2/1/1,  
ग्राम चंदनपुरा, भोपाल ,

- विषय:- मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कलियासोत नदी की सीमा से 33 मीटर खुले क्षेत्र के दायरे i.e". No construction Zone" में अवस्थित भवन में हो रहे अधिभोग को रिक्त करने के संबंध में।
- संदर्भ:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्द्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 135/2014 (CZ) एवं आई.ए. नं. 35/2023 में पारित आदेश दिनांक-11.08.2023 एवं इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं. 5358 दिनांक 11.09.2023.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित अनुसार अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त द्वारा पत्र क्रं. 532 दिनांक 09.09.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 (2) के अन्तर्गत दिए गए सूचना पत्र क्रं. 5358 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्द्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्द्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक-11.08.2023 में उल्लेखित किया गया है " for the purpose of determining 33 meters, respondent authorities are taking distance on the basis of revenue record and if any encroachment or illegal construction is found within the said distance, which is to be maintained as open land and green belt, the same shall be demolished and removed in accordance with law." के अनुसार आपको पूर्व में सूचित किया गया है।

परन्तु आपके द्वारा संदर्भित सूचना पत्र दिए जाने के फलस्वरूप भी कलियासोत नदी/डेम की सीमा से विकास योजना अनुसार निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत आपके द्वारा निर्मित भवन/ढांचा/शेड/बाउण्ड्रीवाल No construction Zone में अवस्थित भवन/ढांचे को आज दिनांक तक (निर्धारित समयावधि 07 दिवस) न ही हटाया गया एवं न ही रिक्त किया गया है।

निरंतर.....

इस कार्यालय के संदर्भित सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में आपके द्वारा दिनांक 18.09.2023 को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसके परीक्षण उपरांत पाया गया कि विषयांकित स्थल पर बिना सक्षम अनुमति के निर्माण किया गया है। अतः अभ्यावेदन संतोषजनक एवं समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण अमान्य योग्य है।

अतः ऐसी स्थिति में आपको मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की अंतिम सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कलियासोत एफ.टी.एल./नदी की सीमा से निर्धारित 33 मीटर संरक्षित खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए चिन्हित निर्माण/अधिभाग को आप स्वयं 24 घण्टे के भीतर प्रभावित निर्माण को रिक्त करते हुए हटा लेवें, अन्यथा की स्थिति में नगर पालिक निगम, द्वारा निर्धारित 33 मीटर खुले क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए निर्माण को तोड़ने/हटाए जाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

"No construction Zone" में किए गए अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण का विवरण"

1. निर्माण/अतिक्रमण का प्रकार— स्टोन वॉल, ब्रिक वॉल, टीन शेड की सहायता से मछली फार्म का निर्माण
2. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)— 400 वर्ग मीटर

3008

क्र.3011/भ.अ.शा./कलियासोत/2023

प्रतिलिपि:—

1. कलेक्टर, जिला भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निजसचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी, टी.टी. नगर वृत्त को आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.09.2023 के संदर्भ में लेख है कि, उपरोक्तानुसार अवैधकर्ता द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के समय कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उपस्थित रहने के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

o/c  
मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21/09/2023

o/c  
मुख्य नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम, भोपाल

वीर सिंह



1528

Date: 03.10.2023

To,  
The Assistant Engineer,  
Municipal Corporation Bhopal,

Add - Mukhyalaya Bhavan Anugya, Shahpura, Bhopal (M.P.) PIN Code 462001

Respected Sir,

This is to bring to your kind attention that aggrieved by the demolition orders dated 11-Sep-23, the undersigned had approached the Honourable High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur. The Writ Petition filed by the undersigned was registered as W.P. No. 24144/2023 wherein vide order dated 22-Sep-23, interim protection has been granted to the undersigned. The said order is self-explanatory. Therefore, it is requested that no further coercive or adverse proceedings be taken by your esteemed authorities. It is further prayed that the order, as per by the honourable High Court be c...Read more

2:54 PM

Date: 03.10.2023

To,  
The Commissioner,  
Municipal Corporation  
I.S.B.T. Bhopal.

Respected Sir,

This is to bring to your kind attention that aggrieved by the demolition orders dated 11-Sep-23, the undersigned had approached the Honourable High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur. The Writ Petition filed by the undersigned was registered as W.P. No. 24144/2023 wherein vide order dated 22-Sep-23, interim protection has been granted to the undersigned. The said order is self-explanatory. Therefore, it is requested that no further coercive or adverse proceedings be taken by your esteemed authorities. It is further prayed that the order, as per by the honourable High Court be complied with, by your esteemed authorities in letter and spirit.

Yours truly,

196  
6/10/23  
Sudhir Gupta  
M: 9826060800

S

AE  
zone-21

Leh  
5/10

Forwarded

2:54 PM

| Certified Copy Key | App. No.   | Delivery Date | Amount (Rs/-) | Purpose | CRN                   |
|--------------------|------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| Srat - s87c - lxx2 | 40865/2023 | 23-09-2023    | 24            | Private | LAW003023092023010048 |

Valid along with certificate of the authorized officer.



1  
**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH**  
**AT JABALPUR**  
**WP No. 24144 of 2023**

(SUDHIR GUPTA Vs MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL AND OTHERS)

**Dated : 22-09-2023**

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

# 1530

| Certified Copy Key | App. No.   | Delivery Date | Amount (Rs/-) | Purpose | CRN                   |
|--------------------|------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| 5rat - s87c - ixv2 | 40865/2023 | 23-09-2023    | 24            | Private | LAW003023092023010048 |

Valid along with certificate of the authorized officer.



2

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the week commencing 16.10.2023.

**Certified Copy Today.**

(SANJAY DWIVEDI)  
JUDGE

Devashish



1531

Date: 22/09/23

To,  
The Chief City Planner  
Nagar Palika Nigam, Bhopal

Subject: Your notice dated 11/09/2023 for Khasra 65/1/4 at village Khudaganj

Reference: My Writ Petition WP/24101

Dear Sir,

With reference to above we have got a stay from HON'BLE HIGH COURT at Jabalpur against the notice dated 11/09/23 & 21/09/2023 respectively.

A copy of the order is attached.

Thanking you

Sincerely

  
Arvind Agrawal  
Mo: 9425607242

Encl: 1. Copy of Stay order

# 1532

1  
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
AT JABALPUR  
WP No. 24144 of 2023

(SUDHIR GUPTA Vs MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL AND OTHERS)

**Dated : 22-09-2023**

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

---

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the week commencing 16.10.2023.

**Certified Copy Today.**

**(SANJAY DWIVEDI)  
JUDGE**

Devashish  
DEVASHISH MISHRA  
2023.09.22 18:06:02  
+05'30'



1534

23/09/2023

To,  
The Chief City Planner,  
Municipal Corporation Bhopal  
Add - Mukhyalaya Bhavan Anugya, Shahpura, Bhopal (M.P.)  
PIN Code 462001

Subject: Your notice dated 11/09/2023 for Khasra 59/2/1/3,60,61,65,105/65 at village Khudaganj

Respected Sir,

This is to bring to your kind attention that aggrieved by the demolition orders dated 11-Sep-23, the undersigned had approached the Honourable High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur. The Writ Petition filed by the undersigned was registered as W.P. No.24059/2023 wherein vide order dated 22-Sep-23, interim protection has been granted to the undersigned. The said order is self-explanatory.

Therefore, it is requested that no further coercive or adverse proceedings be taken by your esteemed authorities. It is further prayed that the order, as per by the honourable High Court be complied with, by your esteemed authorities in letter and spirit.

Yours truly,



Vinit Ajmani  
Mo: 9425006244

Encl: Certified Copy of the order of Honourable High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur

*D. Rajaram*  
*25/9/23*  
*12:55*  
*25/9*

*25/9/23*  
*12:55*

|                    |            |               |                  |                               |      |
|--------------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------|------|
| Certified Copy Key | App. No.   | Delivery Date | AMOUNT<br>(Rs/-) | Purpose/CRN                   | 1535 |
| dnks - 85gm - ph2j | 40851/2023 | 22-09-2023    | 24               | Private LAW003022092023011505 |      |

Valid along with certificate of the authorized officer



1  
**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH**  
**AT JABALPUR**  
**WP No. 24059 of 2023**  
(UNIT AJMANI vs MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

**Dated : 22-09-2023**

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

| Certified Copy Key | App. No.   | Delivery Date | Amount (Rs/-) | Purpose | CRN                   |
|--------------------|------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| dnks - 85gm - ph2j | 40851/2023 | 22-09-2023    | 24            | Private | LAW003022092023011203 |

Valid along with certificate of the authorized officer.



2

of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with other connected cases in the week commencing 16.10.2023.

**Certified Copy Today.**

**(SANJAY DWIVEDI)  
JUDGE**


Devashish

1537

CCP

To,  
The Commissioner,  
Municipal Corporation Bhopal  
Bhopal (M.P. निगम, भोपाल)  
PIN Code 462001

dtd:



Subject: Your notice dated 11/09/2023 for Khasra 58/1 at village Khudaganj,  
Bhopal

Respected Sir,

This is to bring to your kind attention that aggrieved by the demolition orders dated 11-Sep-23, the undersigned had approached the Honourable High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur. The Writ Petition filed by the undersigned was registered as W.P. No.24111/2023 wherein vide order dated 22-Sep-23, interim protection has been granted to the undersigned. The said order is self-explanatory.

Therefore, it is requested that no further coercive or adverse proceedings be taken by your esteemed authorities. It is further prayed that the order, as per by the honourable High Court be complied with, by your esteemed authorities in letter and spirit.

Yours truly,

  
Ms. Shikha Mahendra Singh  
Mo: 9425014739

Encl: Copy of the order of Honourable High Court of Madhya Pradesh,  
Jabalpur

13  
3-10-27

AE  
20/10-21

21/10

Anty and  
dcom m

1538

| Certified Copy Key App. No.  | Delivery Date | Amount (RS.) | Purpose C.R.S.                |
|------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 02qb - Iacp - svp 40866 2023 | 23-09-2023    | 24           | Private - AW00303092023010052 |

Valid along with certificate of the authorized collector



1  
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
AT JABALPUR  
WP No. 24111 of 2023

(SHIKHA MAHENDRA SINGH VS MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

Dated : 22-09-2023

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

1539

| Certified Copy Key | App. No.   | Delivery Date | Amount (RS.) | Purpose | CRN                   |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|
| 92qb - Iacp - swjv | 40866 2023 | 23-09-2023    | 24           | Private | LAW003023092023010052 |

Valid along with certificate of the authorized officer.



2


of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the week commencing 16.10.2023.

**Certified Copy Today.**

Devashish



**(SANJAY DWIVEDI)  
JUDGE**

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
AT JABALPUR

WP No. 24123 of 2023

(SUSHMA PATHAK Vs MUNICIPAL CORPORATION BHOPAL AND OTHERS)

**Dated : 03-10-2023**

*Shri Manoj Sharma - Senior Advocate assisted by Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

*Shri Sanjay K. Agrawal - Advocate for respondents No. 1 and 2.*

*Shri Amit Sharma - Government Advocate for State - on advance copy.*

---

Shri Agrawal, points out that Municipal Corporation, Bhopal, had received a Demi Official letter dated 09.09.2023, from the concerned Sub Divisional Officer (Revenue), who took measurement and pointed out that the construction carried out by the petitioner is within 33 meters of full tank level of Kaliasote pond..

Reading from Annx.P/2, which is copy of Bhopal Development Plan, 2005, published under the provisions of the M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973, it is pointed out that Clause 4.47 (A), provides that minimum 50 meters space will be kept open from the edge of upper lake. In respect of other lake, it is prescribed that 33 meters space from the lake edge shall be kept open. Lake covered in this category are Kaliasote, which is the water body in question involved in the present case.

It is also submitted that these measurements were taken as per the accepted map provided by Water Resources Department to the officials of the Revenue Department.

It is submitted that as per his instructions, he has placed communication made by the Sub Divisional Officer (Nazul) T.T. Nagar, Bhopal (M.P.), dated 09.09.2023, on record and in this list, name of the petitioner appears at Serial

No.13, wherein, name of the village is mentioned as Khudaganj, name of the owner is that of the petitioner and then Khasra Number is given as 59/1/11, 60, 61, 65, 105/66, measuring 0.1860 hectare, where a restaurant in the name of "Hide Out Restaurant" is being run and managed by the petitioner. It is also submitted that Revenue Department and Town and Country Planning are necessary party. It is also submitted that even restaurant has been constructed without competent permission and as such, it is an illegal construction.

It is also submitted that under Section 307 (5) of the Municipal Corporation Act, petitioner has a remedy of approaching the District Court.

Shri Sharma, in his turn, submits that issue involved in the present show cause notice Annx.P/1, is not in regard to illegal construction, but is in regard to construction which is coming within the range of 33 meters as prescribed by the Bhopal Development Plan, 2005.

After hearing learned counsel for the parties, for the present, it is necessary that Shri Sharma, impleads Collector Bhopal, Sub Divisonal Officer (Nazul) T.T. Nagar, Bhopal, Director, Town & Country Planning, M.P. Bhopal and also the Engineer in Chief, Water Resources Department as a party, for which on oral request permission is granted.

Let needful be done during the course of the day.

Shri Amit Sharma, learned Govt. Advocate seeks and is granted three days' time to seek instructions in this regard and produce necessary documents.

In the meanwhile, petitioner's counsel is also directed to bring on record copy of the order passed by NGT in Original Application No.135/2014 (CZ) and I.A.No.35/2023, decided on 11.08.2023.

Respondent/State is directed to clarify that where-from the term full tank

level has come because the Bhopal Development Plan, 2005, in Clause 4.47, does not use the term full tank level, but uses the term "From the Lake Edge".

Let these instructions be completed.


Let copy of the petitioner be also supplied to Shri Amit Sharma, during the course of the day.

List this case on 11.10.2023 on top of the list.

Till then interim protection granted earlier shall continue.

**(VIVEK AGARWAL)  
JUDGE**

A.Praj.



1543

22/09/2023

To,  
The Commissioner,  
The Chief City Planner,  
Municipal Corporation Bhopal  
Add - Mukhyalaya Bhavan Anugya, Shahpura, Bhopal (M.P.)  
PIN Code 462001

Subject: Your notice dated 11/09/2023 for Khasra no. 65/1/6, 105/65, 67, 68 at village Khudaganj

Respected Sir,

This is to bring to your kind attention that aggrieved by the demolition orders dated 11-Sep-23, the undersigned had approached the Honourable High Court of Madhya Pradesh, principal seat at Jabalpur. The Writ Petition filed by the undersigned was registered as W.P. No.24093/2023 wherein vide order dated 22-Sep-23, interim protection has been granted to the undersigned. The said order is self-explanatory.

Therefore, it is requested that no further coercive or adverse proceedings be taken by your esteemed authorities. It is further prayed that the order, as per by the honourable High Court be complied with, by your esteemed authorities in letter and spirit.

YOURS TRULY,

Avdesh Agrawal  
Mo: 9425150076

Encl: Copy of the order of Honourable High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur

9  
25/09/23

| Copy Key | App. No.   | Delivery Date | Amount (Rs/-) | Purpose | CRN                   |
|----------|------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| -xy3h    | 40867/2023 | 23-09-2023    | 24            | Private | LAW003023092023010054 |

Valid along with certificate of the authorized officer.



1

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
AT JABALPUR  
WP No. 24101 of 2023**

*(ARVIND AGRAWAL Vs MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)*

**Dated : 22-09-2023**

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorisedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorised. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

| Key  | App. No.   | Delivery Date | Amount (Rs/-) | Purpose | CRN                  |
|------|------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| xy3h | 40867/2023 | 23-09-2023    | 24            | Private | LAW00327302023024054 |

1545

Valid along with certificate of the authorized officer.



2

of process fee within a period of three working days, returnable within four weeks.

By way of interim measure, till next date of hearing, operation of impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the week commencing 16.10.2023.

**Certified Copy Today.**

**(SANJAY DWIVEDI)  
JUDGE**

Devashish

1546

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR**

Process Id: 176325/2023

WP/24098/2023

From  
Deputy Registrar,  
High Court of Madhya  
Pradesh  
at Jabalpur

FOR ADMISSION AND IR.  
Fixed for 16-10-2023  
WP-DA-10  
Respondent No. 2

To,  
The Assistant Engineer,  
Municipal Corporation, Bhopal,  
Mukhyalaya Bhavan Anugya, Shahpura Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 23-09-2023

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 24098/ 2023**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Mamta Yadav** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/24098/2023**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **16-10-2023**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition and Copy of order dated 22.09.2023.

Your faithfully

  
DEPUTY REGISTRAR



2904  
10-10-23  
2 of 2

AE  
22/09-21

V. K. S.  
10/10

SB-2022/21  
10/10/2023

1547

1  
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
AT JABALPUR  
WP No. 24098 of 2023

(MAMTA YADAV VS MUNICIPAL CORPORATION AND OTHERS)

**Dated : 22-09-2023**

*Shri Manoj Kumar Sharma - Senior Advocate with Shri Kabeer Paul -  
Advocate for the petitioner.*

Heard on the question of admission as well as on interim relief.

By the instant petition filed under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is challenging the notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) issued under Section 307(2) of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 by respondent No.2.

Learned Senior Counsel submits that as per the impugned notice, it is clear that the petitioner before issuing the notice has not been given any opportunity to submit his stand as the language used in the same reveals that the petitioner has to first demolish the construction said to have been raised unauthorizedly and come within the 'no construction zone' i.e. 33 meters from Kaliasot River/Kaliasot Pond. He submits that factually the construction raised by the petitioner is much beyond the limit as has been shown in the impugned notice. He further submits that the petitioner has not been given any opportunity of hearing even to submit his stand before the authority so as convince them that the alleged construction is not unauthorized. He submits that under such circumstance, the impugned notice is illegal and issued in violation of principle *audi alteram partem* and if interim protection is not granted in favour of the petitioner, then there is every likelihood that the alleged construction of the petitioner shall be demolished.

In view of the above, let notice be issued to the respondents on payment

1548  
of process fee within a period of three working days by RAD mode, returnable  
within four weeks.


By way of interim measure, till next date of hearing, operation of  
impugned notice dated 11.09.2023 (Annexure-P/1) shall remain stayed with a  
clear understanding that till next date of hearing the alleged construction relating  
to the petitioner shall not be demolished.

List this case along with W.P. No.24059 of 2023 in the **week**  
**commencing 16.10.2023.**

**Certified Copy Today.**

*sd*  
**(SANJAY DWIVEDI)**  
**JUDGE**

Devashish



कलियासोत रिजरवायर में मिलने वाले सीवेज की रोकथाम हेतु निर्माणाधीन सूरज नगर में 2 के.एल.डी. एवं बरखेड़ी कलां क्षेत्र में 450 के.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट के संबंध में।

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि कलियासोत रिजरवायर अंतर्गत सूरज नगर 200 के.एल.डी. एवं बरखेड़ी नाले के समीप 450 के.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य निविदाकार मेसर्स सावेन कंसल्टेंसी सर्विस प्रा.लि. लखनऊ द्वारा कार्य किया जा रहा है, उक्त कार्य प्रगति पर है।

ठेकेदार द्वारा सूरज नगर क्षेत्र में निर्मित किये जा रहे 200 के.एल.डी. एस.टी.पी. का कार्य लगभग 95 प्रतिशत एवं बरखेड़ी नाले के समीप निर्मित किये जा रहे 450 के.एल.डी. एस.टी.पी. का कार्य लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उक्त दोनों स्थलों पर एस.टी.पी. का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् सीवेज की रोकथाम हो सकेगी।

  
अधीक्षण यंत्री  
नगर निगम, भोपाल

## कार्यालय जनपद पंचायत फन्दा जिला भोपाल

भोपाल दिनांक 13/02/2025

क्रमांक 1541 / ज.पं. / 2022

प्रति,

1. उपसचिव  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय भोपाल
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत भोपाल

विषय :- केरवा जलाशय के केचमेंट एरिया मे तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध मे ।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि केरवा जलाशये मे मिलने वाले ग्राम मेंडोरी से लगभग 35 KLD एवं ग्राम कुशलपुरा से 5 KLD अपशिष्ट जल (ग्रेवाटर) प्रवाहित होने की स्थिति पाई गई।

जिसका डीवाटर्स एवं सामूदायिक लीचपीट तथा सोखता गढढा निर्माण कर व्यवस्थित निपटान किया जा रहा है ।

| क्र.    | ग्राम पंचायत का नाम | ग्राम का नाम | संरचना का नाम                | संरचना की क्षमता              | संरचना की लागत | संरचना की भौतिक स्थिति | रिमार्क |
|---------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|---------|
| 1-      | मेंडोरी             | मेंडोरी      | डीवाटर्स                     | 15 KLD                        | 5.83 लाख       | पूर्ण                  |         |
|         | मेंडोरी             | मेंडोरी      | सामूदायिक लीचपीट (संख्या 10) | प्रति संरचना 2 KLD कुल 20 KLD | 1.76 लाख       | पूर्ण                  |         |
| 2-      | बेरखेडीवाज्यापत     | कुशलपुरा     | सोखता गढढा (संख्या 3)        | 5 KLD                         | 1.50 लाख       | पूर्ण                  |         |
| कुल योग |                     |              |                              | 40 KLD                        | 9.09 लाख       |                        |         |

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत फन्दा, भोपाल